श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 31 जुलाई, 1984

सं. ओ वि./करनाल/99-82/27599.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० दी करनाल कोपरेटिव शूगरमिल, लि., करनाल के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है,

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा, इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं,

इसलिए, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा राज्यपाल के इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित, औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को, नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं, अथवा विवाद से संगत या संबंधित मामला/मामले है/हैं, न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्रमिक श्री जयपाल सिंह, फिटर के पद पर पदोन्नति का पात्र है । यदि है तो किस विवरण से ।

दिनांक 31 जुलाई, 1984

सं. ओ. वि./करनाल/99-82/27605.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० दी करनाल कोपरेटिव शूगरमिल लि०, करनाल के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है,

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा, इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं,

इसलिए, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदान की की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित, उद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं, अथवा विवाद से सगत या संबंधित मामला/मामले हैं/है, न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करते हैं —

क्या श्रमिक श्री ओम प्रकाश, ट्यूबवैल ओपरेटर पर पदोन्नत का पात्र है ? यदि है, तो किस विवरण से ?

एम. सेठ,
विशायुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग ।

श्रम विभाग

दिनांक 7 अगस्त, 1984

सं. ओ. वि./एफ. डी./2/36-84/29123.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. विकास फोरजिंग्स प्रा. लि., प्लाट नं. 173, सैक्टर 24, फरीदाबाद के श्रमिक श्री शेर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ।

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं,

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495 जी-श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-के अधीन गठित श्रम न्यायलय फरीदाबाद को विवदाग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है ।

क्या श्री शेर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है । यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?